कार्यालय
अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क/बी–6/नियमन/वि.अनु./मनोज ट्रेडिग/591/2190 भोपाल,दिनांक 28/06/2019

प्रति,

फर्म मनोज ट्रेडिंग कम्पनी
गॉधी आश्रम के पास, (दमोह मण्डी क्षेत्र)
दमोह जिला दमोह मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे।

संदर्भः–मेसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी का आवेदन दिनांक 20.05.2019

सन्दर्भित आवेदन द्वारा म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम–2009 के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति चाही गई है। जिसमे कम्पनी के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति दमोह मे उत्पादको से कृषि उपज क्रय करने हेतु 01 क्रय केन्द्र की स्थापना की अनुमति चाही गई है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के अधीन संशोधित 6 समूह नियत किये गये है और तदानुसार नियम 6 के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के नियत समूहवार प्रतिभूति की राशि नियत की गई है।

मेसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी दमोह के द्वारा इन विनिर्दिष्ट समूहो मे से (ड) धान्य तथा दलहन कृषि उपजो की खरीदी हेतु आवेदन मे उल्लेख किया गया है।

मेसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी दमोह के द्वारा आवेदन मे उल्लेखित 01 विनिर्दिष्ट मंडी समिति दमोह मे 01 क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु संशोधित नियम 6 के अधीन राशि रूपये 3,00,000/– (रूपये तीन लाख मात्र) भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दमोह जो कि प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को पेयबल प्रस्तुत की गई है, जिसकी अवसान तिथि 06.06.2024 तक है।

विशेष अनुज्ञप्तिधारक के संदर्भित आवेदन दिनांक 14.05.2019 के अनुसार स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति मे उनके द्वारा 01 क्रय केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति चाही गई है। अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32–क के अधीन संशोधित मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के संशोधित नियम 4 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मेसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी दमोह को विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रो मे उत्पादको से सीधे कृषि उपज क्रय करने के लिए निमनुसार क्रय–केन्द्र स्थापना की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1/ आपके द्वारा एकल लायसेंस मे खरीदी केन्द्र हिरदेपुर दमोह दर्शाया गया है जिसकी दूरी मण्डी से मात्र 100 मीटर है जबकि नियम मे न्यूनतम दूरी 03 किलोमीटर निर्धारित की गयी है, यह केन्द्र मान्य नही होगा।

2/ आपके द्वारा खरीदी केन्द्र पर खरीदी किये जाने हेतु नियम 8(6) के तहत न्यूनतम 03 किलोमीटर की दूरी पर या उससे अधिक की अनुमति प्रदान की जाती है। खरीदी केन्द्र की जानकारी, खरीदी प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित मण्डी सचिव, आंचलिक कार्यालय एवं मण्डी बोर्ड, मुख्यालय को दी जायेगी।

फैज अहमद किदवई
प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

letter

3/ नियत सीमा के बाहर खरीदी केन्द्र स्थापित करने एवं उसकी सूचना मण्डी बोर्ड को उपलब्ध होने के पश्चात ही खरीदी प्रारम्भ की जा सकेगी अन्यथा किसी भी तरह की खरीदी अवैध व्यापार मान्य किया जावेगा और आपके विरूद्ध मण्डी अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

4/ अनुज्ञप्तिधारक के लिये प्रथमतः यह अनिवार्य होगा कि वह विनिर्दिष्ट मंडी प्रांगण एवं क्रय–केन्द्र मे सुविधा स्थापित करे।

अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32–क के अधीन म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10, 12 के अनुसार मेसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी दमोह को एक वर्ष के लिये अनन्तिम रूप से विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति का प्ररूप–3 परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बी–6/नियमन/वि.अनु./मनोज ट्रेडिग/591/2191 भोपाल,दिनांक 28/06/2019

(1) संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10 एवं नियम 12 के अधीन उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति "अधिसूचित कृषि उपज **केवल "धान्य तथा दलहन"** के लिए अनन्तिम कर स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.................................. जिला.................................. म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10 एवं 12 के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति (जो अधिसूचित कृषि उपज **केवल "धान्य तथा दलहन"** के लिए स्वीकृत की गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। प्रथमतः अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य है कि वह विनिर्दिष्ट मंडी प्रांगण एवं क्रय केन्द्र मे सुविधा स्थापित करे।

3. चीफ प्रोग्रामर, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि कृषि उपज मण्डी समिति दमोह जिला दमोह के अनुज्ञप्तिधारी फर्म मनोज ट्रेडिंग कम्पनो गॉधी आश्रम के पास, (दमोह मण्डी क्षेत्र) दमोह जिला दमोह मध्यप्रदेश को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति को ई–अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट – "ब"

प्ररूप–तीन
(नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

विशेष अनुज्ञप्ति कमांक/एस.एल./2019/04 दिनांक 28/06/2019

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी, गॉधी आश्रम के पास (दमोह मण्डी क्षेत्र) दमोह जिला दमोह मध्यप्रदेश को अधिनियम की धारा 32–क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु दिनॉक ...... जून वर्ष 2019 को विशेष अनुज्ञप्ति एक वर्ष के लिए अनंतिम रूप से दी जाती है।

अनु.क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धान्य तथा दलहन	दमोह	कृषि उपज मंडी समिति दमोह जिला दमोह	हिरदेपुर दमोह	मनोज जैन, सी 8 विजयनगर दमोह	1–श्री गोकुलकाशी (मो0 9691228922) 2–श्री भानू प्रताप झारिया (मो0 9755516092)	

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवाग्र होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे :–

अनु0क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मे0टन में {नियम 4 (2) देखिए}
(1)	(2)	(3)
1	धान्य तथा दलहन	2,000 मे0टन

3. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:–

(एक) इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
(दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था
(तीन) प्रकाश की समुचित व्यवस्था
(चार) पुरूष तथा महिलाओं के लिये शौचालय की प्रसुविधा
(पॉच) शेड की व्यवस्था
(छ) किसानों के लिये छायादार विश्राम स्थल
(सात) भुगतान काउन्टर
(आठ) ट्रेक्टर ट्राली आदि की पार्किंग की व्यवस्था
(नौ) नमी, कचरा तथा क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति,

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त

(दस) प्रवेश, विकय–कय, भुगतान तथा तौल काउन्टरो/क्षेत्रों पर सी.सी.टी.व्ही कैमरे स्थापित करना.
(ग्यारह) कय–विकय लेखा की मैनुअल के साथ ही डिजिटल बैकअप प्रणाली संधारित रखना.

एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामले मे –

(एक) इलेक्ट्रानिक ट्रेडिग प्लेटफार्म,
(दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण, किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा
(तीन) सुपुर्दगी केन्द्र

विनिर्दिष्ट कय केन्द्रो मे से किसी कय केन्द्रो मे प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओ को सृजित करने मे असफल रहने पर, एक वर्ष के लिये दी गई अनन्तिम विशेष अनुज्ञप्ति को ऐसे कय केन्द्र के लिये आगामी वर्षो के लिये नियमित नही किया जायेगा।

1 उक्त क्रय केन्द्रों पर उत्पादकों से सीधे कृषि उपज क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2 कृषि उपज मण्डी समिति, कटनी, डबरा, दतिया, आष्टा, बानापुरा, सतना, मनासा, हरदा, दलोदा में केवल वाणिज्यिक संव्यवहार की अनुमति प्रदान की जाती है।

4. यह विशेष अनुज्ञप्ति दिनांक.................... से ....तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5. यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी :–

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,
(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर न करने पर,
(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,
(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना–पत्र के अनुसार समय–सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,
(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय–सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियॉ प्रस्तुत न करने पर,
(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,
(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में कय न किये जाने पर

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता :
कार्यालय की मोहर :

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल